न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी-हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 115/2010

पंजीयन दिनांक :- 03.09.2010

अनवान

1. जमनालाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण- मृतक के बजाय
    1. धापू पत्नि स्व. जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
    2. संगीता पिता जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
    3. शांतिलाल पिता जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
    4. मधु पिता जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
    5. हंसा देवी पिता जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
    6. लोकेश पिता जमनालाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
2. रामस्वरूप पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
3. मोहनलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
4. विष्णुलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ

   - मृत्यु होने से नाम विलोपित
5. गोपाललाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
6. सम्पतलाल पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
7. पार्वती पिता शंकरलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ

-अपीलांट्गण

बनाम

1.अभयकुमार पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
2.तारा पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
3.द्रोपदी पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
4.रतनलाल पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
5.धीरज कुमार पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
6.विकास पिता शिवलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
7.छगनलाल पिता कजोड़मल- मृतक के बजाय
    1. रामेश्वर पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
    2. भरतलाल पिता छगनलाल - मृतक के बजाय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

1. सांवरा पिता भरतलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
2. ममता पत्नि भरतलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
3. रेणु पुत्री भरतलाल पत्नि चन्द्रेश जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी हाल मुकाम भडक्तयावास तहसील विजयनगर जिला अजमेर
4. बसन्ती उर्फ दीपिका पुत्री भरतलाल पत्नि राजू जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी हाल मुकाम चावंडिया तहसील मांडलगढ जिला भीलवाड़ा
5. प्रियंका पुत्री भरतलाल पत्नि विपुल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी हाल मुकाम मंगला चौक बनियों का मोहल्ला, भीलवाड़ा

3. मांगीबाई पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
4. भगवतीबाई पिता छगनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
8. मदनलाल पिता कजोड़ीमल – मृतक के बजाय
   1. प्रहलाद राय पिता मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी हाल मुकाम प्रताप कॉलोनी चंदेरिया जिला चित्तौड़गढ
   2. सुभाषचन्द्र पिता मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी लक्ष्मीनाथ कॉलोनी बस्सी जिला चित्तौड़गढ
   3. कैलाश पुत्री मदनलाल पत्नि ओम ओझा जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ हाल मुकाम सवाईपुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
   4. कमला पुत्री मदनलाल पत्नि बालकिशन जाति ब्राह्मण निवासी बस्सी जिला चित्तौड़गढ हाल मुकाम ककरोलीया तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा
9. भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ
प्रकरण संख्या 17/2004 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2010

उपस्थित वक्त बहस–(1). सुरेन्द्र कुमार ओझा – अधिवक्ता अपीलांट
(2). बसंतीलाल पोखरना – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 7/2/1 से 7/2/5, 8/3 व 8/4
(3). मोहनलाल जाट – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

निर्णय **दिनांक 31.01.2023**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 ने एक वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53, 188 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी तहसील चित्तौड़गढ की आराजी संख्या 2786 से 2789, 2811, 2812, 2859, 2860, 2892, 2893, 2920, 2944, 2946, 2949 कुल किता 14 रकबा 2.07 है0 जो वर्तमान में अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है जिसे वादीगण के पिता स्व. शिवलाल व प्रतिवादीगण के पिता स्व. शंकरलाल तथा वादी सं. 7 एवं 8 छगनलाल व मदनलाल द्वारा दिनांक 01.07.1950 को मूलचन्द पिता हगामीलाल ब्राह्मण ओझा से 2500 रूपये में चारो भाई क्रमशः स्व. शंकरलाल, छगनलाल, स्व. शिवलाल व मदनलाल संयुक्त रूप से साबिक आराजी किता 11 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। इसी प्रकार साबिक आराजी रातड़िया नामी रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बिल एवज 699 रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.1950 कजोड़ीमल के चारो पुत्रो ने संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलांट्गण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता सबसे बड़े भाई होने से व घर परिवार में कर्ता होने से पटवारी ने रजिस्ट्री के आधार पर सभी भाईयों के नाम नामान्तरकरण न खोलकर अकेले शंकरलाल के नाम पर दर्ज कर दिया। कब्जा खरीद दिनांक से संयुक्त रूप से कजोड़ीमल के चारों पुत्रों का चला आ रहा है। लगान भी चारो भाई बराबर हक से अदा करते चले आ रहे है। शंकरलाल की मृत्यु होने पर अपीलांट्गण प्रतिवादी सं. 1 से 7 ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण को धमकी दी कि विवादित आराजी हमारे पिताजी के नाम पर होने से वादीगण की नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण ने अपीलांट्गण प्रतिवादी सं. 1 से 7 को दिनांक 01.10.2003 को माफीक रजिस्ट्री प्रत्येक भाई के वारीसान को 1/4 हक से खाते में दर्ज कराने एवं बटवाडा कराने की कहने पर इन्कार कर देने से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध अपीलांट्गण प्रतिवादी सं. 1 से 7 विवादित आराजीयात मे वादी सं. 1 से 6 का 1/4, वादी संख्या 7 का 1/4, वादी सं. 8 का 1/4 व प्रतिवादी सं. 1 से 7 का 1/4 हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी में घोषित कर प्रत्येक के 1/4 हक हिस्से अनुसार बटवाडा कराकर अलग-अलग खातेदारी में दर्ज कराते हुए प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की डिक्री फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब करने पर प्रतिवादीगण ने अस्वीकारोक्ति का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का विवादित आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही है और न ही वादीगण बटवाडा कराने के अधिकारी है। वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादीगण खारीज फरमाया जावें। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर उभयपक्ष की सहमति से कुल चार वाद बिन्दु कायम किये जाकर वादीगण का वादपत्र बहक रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण विरूद्ध अपीलांट्गण प्रतिवादी सं. 1 से 7 निर्णित करते हुये स्वीकार किया जाकर दिनांक 18.08.2010 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी से असंतुष्ट होकर अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे अन्दर म्याद प्रस्तुत की है।

अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्गण वादीगण व प्रतिवादी सं. 8 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 9 जरिये राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील विचाराधीन रहते हुये अपीलान्ट सं. 4 विष्णुलाल का स्वर्गवास हो जाने से उनका नाम पक्षकारान से पृथक किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने अपील विचाराधीन रहते हुये दिनांक 11.03.2011 को आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सलंग्न दस्तावेजात पत्रावली पर लेने हेतु निवेदन किया जिसकी प्रति रेस्पोडेन्ट्गण के अधिवक्ता को दिलाई गई। जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना-पत्र के संलग्न दस्तावेजात की छाया प्रतियां प्रस्तुत हुई है जो रेकार्ड पर ली जाकर पठनीय नही होने से प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट्गण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा पुनः दिनांक 10.07.2015 को आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सलंग्न दस्तावेजात पत्रावली पर लेने हेतु निवेदन किया जिसकी प्रति रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता को दिलाई गई। जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई, प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां प्रकरण से सुसंगत है जिन्हे रेकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात पत्रावली पर लिये जाते है।

अधिवक्ता अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने अपनी बहस में अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी की हाल कृषि आराजीयात कुल किता 14 रकबा 2.07 है0 जिसे वादीगण के पिता स्व. शिवलाल व प्रतिवादीगण के पिता स्व. शंकरलाल तथा वादी सं. 7 एवं 8 छगनलाल व मदनलाल चारो भाईयों ने संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता सबसे बड़े भाई होने से व घर परिवार में कर्ता होने से सभी भाईयों के नाम नामान्तरकरण न खोलकर अकेले शंकरलाल के नाम पर दर्ज कर दिया। अतः चारो भाईयों के हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी घोषित कर प्रत्येक के 1/4 हक हिस्से अनुसार बटवाडा कराकर अलग-अलग खातेदारी में दर्ज कराते हुए प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की डिक्री फरमाई जावे। अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अभिवचनों के आधार पर चार वाद बिन्दु कायम किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण द्वारा अपने जिम्मे की सभी तनकियात दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से साबित मानते हुये वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये जो विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात प्रतिवादीगण के पिता शंकरलाल पिता कजोडीमल के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जो उनकी मृत्यु होने से प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज हुई। दिनांक 01.07.1950 को विवादित आराजी खरीदना वादीगण बताते है तब प्रतिवादीगण का जन्म ही नही हुआ था। अतः उस समय क्या परिस्थिति थी उससे प्रतिवादीगण अनभिज्ञ है। वादीगण का विवादित आराजी पर शामलाती कब्जा काश्त होने की बात गलत बताई है। विवादित आराजी शंकरलाल की थी जिन्होने इस भूमि पर पक्का कुंआ बनाया व दिवारे बनाकर आबाद की। कजोडीमल के पुत्र चारो भाई पिछले 55 साल से अलग-अलग रहते चले आ रहे है। वादीगण ने उक्त आराजी की खरीद के वक्त कोई प्रतिफल अदा नही किया और न ही प्रतिफल अदा करने

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

की उनकी स्थिति थी। उक्त भूमि का लगान भी प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता शंकरलाल ही अदा करते थे। न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रकरण सं. एनएच भूमि अवाप्ति 590/2005 में राष्ट्रीय राजमार्ग में खसरा नम्बर 2892, 2893 में से अवाप्त रकबा 0.21 हैक्टेयर की अवाप्ति कार्यवाही अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम से ही की गई। कृषि भूमि का लगान भी खातेदार शंकरलाल द्वारा एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा जमा करवाया गया। पंजीकृत विक्रय पत्र में खसरा नम्बर का अंकन नहीं है, खेतो के नाम दर्ज है। विक्रय पत्र वर्ष 1950 में निष्पादित करवाया गया है जिसके आधार पर दावा काफी विलम्ब से लगभग 54 वर्षो पश्चात वर्ष 2004 में प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण ने अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता शंकरलाल के जीवित रहते ऐतराज क्यों नही किया। इसी प्रकार बंदोबस्त के दौरान भी वादीगण ने अपने कब्जा काश्त होने पर खातेदारी में दर्ज करवाने की कार्यवाही क्यो नही की। विवादित कृषि आराजीयात विक्रय पत्र से खातेदार शंकरलाल के नाम दर्ज नही हुई है विक्रय पत्र का कोई नामान्तकरण पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ है। हाल भूप्रबन्ध के मिलान खसरा प्रदर्श 6 के कॉलम नम्बर 22 व 23 में भी शंकरलाल का ही नाम दर्ज है। प्रदर्श 1 विक्रय पत्र में अंकित रकबा व लगान का प्रदर्श 4 जमाबन्दी से मिलान नहीं होता है। प्रदर्श 9 में आराजी नम्बर व पड़ौस अंकित नहीं है। रेस्पोडेन्ट सं. 8 वादी मदनलाल ने मौखिक बयान में कथन किया कि क्रेतागण नाबालिग थे व प्रतिफल राशि माँ ने दी यदि यह तथ्य सही थे तो पंजीकृत विक्रय पत्र में क्रेता नाबालिग दर्ज होते तथा उनकी माँ की सरपरस्ती दर्ज होती। अन्त में अपील अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 ने एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा बस्सी की हाल आराजी कुल किता 14 रकबा 2.07 है0 जिसे वादीगण के पिता स्व. शिवलाल व प्रतिवादीगण के पिता स्व. शंकरलाल तथा वादी सं. 7 एवं 8 छगनलाल व मदनलाल द्वारा प्रदर्श 1 से दिनांक 01.07.1950 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मूलचन्द पिता हगामीलाल ब्राह्मण ओझा से 2500 रूपये में चारो भाईयों ने संयुक्त रूप से 11 बीघा 15 बिस्वा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया जिसके साबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी नम्बर 1564, 1569, 1603, 1606, 1620 से 1623, 1653, 1674, 1676 किता 11 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा है। इसी प्रकार साबिक कृषि आराजी रातड़िया नामी भूमि रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बिल एवज 699 रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03.10.1950 श्री बलासीराम से कजोड़ीमल के चारो पुत्रो ने संयुक्त रूप से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया उक्त विक्रय पत्र प्रदर्श 7 हुआ है अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता सबसे बड़े भाई होने से व घर परिवार में कर्ता होने से सभी भाईयों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही करवाकर अकेले शंकरलाल के नाम पर दर्ज करवा दिया। वादपत्र की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.07.1950, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी रोटेशन संवत 2057 से 2060, प्रदर्श 4 व 5 नकल जमाबंदी गत भूप्रबन्ध, प्रदर्श 6 नकल मिलान खसरा, प्रदर्श 7 पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.10.1950, प्रदर्श 8 ए मूलचन्द की ओर से रजिस्ट्री के स्टाम्प खरीद कर रजिस्ट्री लिखने वाले को देकर रजिस्ट्री करवाने की लिखापढी है, प्रदर्श 9 ए दिनांक 09.07.1953 की लिखावट है, प्रदर्श 10 ए सिजारे की लिखा पढी प्रस्तुत की जिसमें भेरूलाल सुथार ने शंकरलाल, छगनलाल से आधी पाती के सिजारा बाबत लिखावट है। प्रदर्श 11 ए में श्री जमनालाल ने दस रूपये देकर अपने खेत में पानी पिलाने की लिखापढी की है। प्रदर्श 12 ए छगनलाल द्वारा अपने हिस्से की आराजी का रहननामा निष्पादित करवाया। प्रदर्श 13 ए जमनालाल द्वारा चारो भाईयों से अपने खेत में पानी ले जाने की पीलाई हेतु लिखापढी की है। प्रदर्श 16 ए शंकरलाल, छगनलाल के हिस्से की आराजी का सिजारी नन्दा चमार ने लिखापढी की है। प्रदर्श 14 ए छगनलाल, मदनलाल के हिस्से की सिजारी की लिखापढी है। प्रदर्श 17 ए शिवलाल ओझा ने अपनी 8 बिस्वा भूमि की पीलाई चारो भाईयों को 10 रूपये अदा कर पीलाने की लिखापढी की है। प्रदर्श 15 ए चारो भाईयों के मध्य खेती करने एवं बकाया के पेटे खेत बोने की लिखापढी है प्रस्तुत किये एवं मौखिक ग्वाह वादी सं. 8 रेस्पोडेन्ट मदनलाल के बयान दर्ज करवाये जिन्होने विक्रय पत्रों के विपरीत राजस्व रेकार्ड में अकेले शंकरलाल का नाम दर्ज कर देने का कथन किया। विक्रेता मूलचन्द के समय कुंआ ढंसा हुआ था जिसे क्रेता चारो भाईयों ने खरीदने के पश्चात पक्का बंधवाकर डाबडा बंधवाया जिस पर चारो भाईयों के नाम अंकित है। राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के दौरान न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अर्जन) एवं सक्षम प्राधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रकरण सं. एनएच भूमि अवाप्ति 590/2005 में राष्ट्रीय राजमार्ग में खसरा नम्बर 2892, 2893 में से अवाप्त रकबा 0.21

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

हैक्टेयर की अवाप्ति कार्यवाही अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 के नाम विवादित कृषि आराजीयात दर्ज होने से की गई जिसमें रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण द्वारा आपति प्रस्तुत की गई जिसके आधार पर दिनांक 14.06.2007 को मुआवजे की कार्यवाही रोकी गई है। इसी तरह के बयान रेस्पोडेन्ट वादी सं. 1 श्री अभयकुमार ने भी दिये। मौखिक ग्वाह गिरधारीलाल, घीसुलाल व केसरीमल जो विवादित आराजी के पड़ौसी है, के बयान अनुसार विवादित कृषि आराजीयात चारो भाईयों द्वारा संयुक्तरूप से क्रयशुदा होकर मौके पर चारो भाईयों का हक हिस्से अनुसार कब्जा है। उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के अनुसार क्रेतागण चारो भाईयों के नाम निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र प्रदर्श 1 व 7 के मुकाबले अकेले शंकरलाल के नाम विवादित क्रयशुदा कृषि भूमि दर्ज कर दी जाने की कार्यवाही प्रभाव शून्य है। भारतवर्ष के गणतंत्र बनने के समय एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तथा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 लागू होने से पूर्व वर्तमान नामान्तरकरण व्यवस्था लागू नही थी। विरासतन एवं क्रयशुदा कृषि आराजीयात बड़े भाई के नाम परम्परागत रूप से दर्ज कर दी जाती थी जिसमें सभी सगे भाईयों का हिस्सा सन्निहित माना जाता था जिसमें किसी को कोई उजर एतराज नही होता था। तत्समय प्रचलित प्रथा अनुसार बिना नामान्तरण की कार्यवाही के शंकरलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया, चारो भाईयों का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही किया गया था। शंकरलाल के उत्तराधिकारियों द्वारा अब उजर एतराज किये जाने के कारण चारो भाईयों के हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्टगण वादी सं. 1 से 6 का 1/4, वादी संख्या 7 का 1/4, वादी सं. 8 का 1/4 व अपीलांटगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 का 1/4 हक हिस्से की संयुक्त खातेदारी घोषित कर प्रत्येक के 1/4 हक हिस्से अनुसार बटवाडा की डिक्री बाबत प्रस्तुत वादपत्र में विक्रय पत्र को अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा काउण्टर क्लेम से चुनौती नही दी। विक्रय पत्र में रकबा लगभग (आसरे से) अंकित किया गया है। तत्समय के राजस्व रेकार्ड एवं पंजीकृत विक्रय पत्र में खेत की पहचान हेतु खेत का नाम अंकित किया जाता था तब लोग कम पढे लिखे, भोले तथा अधिकांश अनपढ थे जो खेतो को नाम से जानते थे उन्हें खेतो के सर्वे नम्बर/खसरा नम्बर का ज्ञान नहीं था। राजस्व रेकार्ड संधारण एवं कृषि अधिकारों के हस्तान्तरण में तत्कालीन सरकारी कार्यव्यवस्था में खसरा नम्बर लिखना आवश्यक नहीं माना जाता था। खेतों के नाम गत भूप्रबन्ध की जमाबंदी प्रदर्श 4, 5 एवं विक्रय पत्र प्रदर्श 1 व 7 में समान लिखे हुये है । मौके पर कब्जे की पुष्टि बाबत सिजारे व चारो भाईयों के संयुक्त कुंए से पानी लेने आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बाबत लिखापढी के प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 8 ए से प्रदर्श 17 ए जो लगभग 50 वर्ष पुराने है। साक्ष्य अधिनियम अनुसार 30 वर्षो से अधिक पुराने दस्तावेजात की सही होने की उपधारणा की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकिवार विवेचन कर पारित किये गये प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण प्रतिवादी सं 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 की ओर से प्रस्तुत घोषणा, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 9 प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्टगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से अस्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया। उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर चार वाद बिन्दु तय किये गये। तनकिवार विवेचन कर प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादपत्र की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श 1 व प्रदर्श 7 विक्रय पत्र पंजीकृत है जिनमें क्रेता शंकरलाल, छगनलाल, शिवलाल, मदनलाल पिता कजोड़ीमल ब्राह्मण अंकित है। विक्रय पत्रों में अंकित कृषि आराजीयात के (खेतो के) नाम प्रदर्श 4 व 5 गत भूप्रबन्ध की जमाबंदी में अंकित खेतो के नाम से मेल खाते है तथा रकबा भी करीबन आसरे से लिखा हुआ है। हाल भूप्रबन्ध के मिलान खसरा प्रदर्श 6 अनुसार गत भूप्रबन्ध के खसरा नम्बर 1564, 1569, 1603, 1606, 1620 से 1623, 1653, 1674, 1676 कुल किता 11 कुल रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 2786 से 2789, 2811, 2812, 2859, 2860, 2892, 2893, 2920, 2944, 2946, 2949 कुल किता 14 कुल रकबा 2.07 है0 बने है। मिलान खसरा के कॉलम नम्बर 22 में

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

गत भू-माप में कृषक का नाम शंकरलाल व कॉलम नम्बर 23 में वर्तमान भू-माप में कृषक का नाम शंकरलाल अंकित है जिससे भी गत भूप्रबन्ध में खातेदार शंकरलाल के नाम दर्ज विवादित कृषि आराजीयात के ही वर्तमान खसरा नम्बर बनने की पुष्टि होती है। वक्त प्रस्तुत वादपत्र संलग्न प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी रोटेशन संवत 2057 से 2060 तक खातेदार शंकरलाल का नाम उक्त विवादित आराजीयात में अंकित चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 8 वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 8 ए, प्रदर्श 9 ए, प्रदर्श 10 ए, प्रदर्श 11 ए , प्रदर्श 12 ए, प्रदर्श 13 ए, प्रदर्श 14 ए, प्रदर्श 15 ए, प्रदर्श 16 ए, प्रदर्श 17 ए लगभग 50 वर्ष पुराने है जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया है से तथा मौखिक ग्वाहो के बयानों से क्रेता चारो भाईयों एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्टगण रेस्पोडेन्टगण का मौके पर अपने-अपने हक हिस्से अनुसार खरीद दिनांक से कब्जा रहा है। पंजीकृत विक्रय पत्रों के मुकाबले राजस्व रेकार्ड में क्रेतागण के नाम खातेदारी घोषणा बाबत अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तनकिवार विवेचन कर पारित किये गये प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत पाये जाने से अपीलान्टगण प्रतिवादी सं 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांटगण प्रतिवादी संख्या 1 से 7 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ के प्रकरण संख्या 17/2004 राजस्व वाद में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2010 यथावत रखे जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ(राज0)